न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक,व खाता तकसीम
नम्बर मुकदमा — 217 / 2024 निर्णय दिनांकः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इन्द्रजीत सिह पुत्र महेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— वादी

बनाम

1 महेन्द्र सिह पुत्र हरदयाल सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 सतवीर कौर पुत्री महेन्द्र सिह पत्नी लखविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. संतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— प्रतिवादीगण

उपस्थित:
श्री सुमेर सिह सिद्धू — अधिवक्ता वादी
श्री हरणजीत सिह सिद्धू — अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी व प्रति स. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। चक 7 ए. एम.पी. खाता स. 77 / 51 खाता महेन्द्र सिह ज.स. 2073—76 में वादी के पिता प्रति स. 1 महेन्द्र सिह पुत्र हरदयाल सिह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 2 के पिता प्रति स. 1 महेन्द्र सिह पुत्र हरदयाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त आराजी हमारी जददी जायदाद है।जिसमें वादी व प्रति स. 2 का जन्म से ही हक बनता है।लेकिन प्रति स. 2 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी व प्रति स. 1 के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है।घरू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्सा में 2.783 है0 आराजी आई है।जो मौका पर वादी के कब्जाकाश्त में है। अतः वादी उक्त 2.783 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करना चाहता है।दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी ने काश्त की सुविधानुसार एवं आराजी के एकीकरण के लिए घरू विभाजन कर रखा है। उक्त घरू विभाजन अनुसार वादी के हक हिस्सा व कब्जा में निम्नानुसार आराजी आई है तथा इसी मुताबिक वादी अपना अपना खाता अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार हैः—

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी इन्द्रजीत सिह पुत्र महेन्द्र सिह का हिस्सा:–
चक 7 ए.एम.पी.

160/156 43 21 ता 24/.253प्र 25/1/.228
25/2/.025 गै.मु.खाला = 1.265 है0
160/155 60 3–4/.253प्र 5/1/.228 5/2/.025 गै.मु.खाला
6/1/.228 6/2/.025 गै.मु.खाला
7–8/.253प्र = 1.518 है0
कुल योग 2.783 है0 आराजी

वादी दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काशत करते चला आ रहा है लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण तथा साझा खाता में दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप मुझ दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।अतः चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 77/51 खाता महेन्द्र सिह ज.स. 2073–76 की कुल 5.541 है0 आराजी मे से 2.783 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.783 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है।वादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया ।प्रति स. 1 व 2 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया।साक्ष्य वादी में वादी इन्द्रजीत सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 77/51 खाता महेन्द्र सिह ज.स. 2073–76 की कुल 5.541 है0 आराजी मे से 2.783 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.783 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है।वादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2 ने वादी के वाद का कोई विरोध नही किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 77/51 खाता महेन्द्र सिह ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 77/51 खाता महेन्द्र सिह ज.स. 2073–76 की कुल 5.541 है0 आराजी मे से 2.783 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.783 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है।वादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

निज.......x............ मुब्लिक.......x.......... बाबत.......x.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......x...... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकी एंव मुकदमे ईबादाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इन्द्रजीत सिह पुत्र महेन्द्र सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1 महेन्द्र सिह पुत्र हरदयाल सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 सतवीर कौर पुत्री महेन्द्र सिह पत्नी लखविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. संतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

मु. स . 217 / 2024 दावा अर्न्तगत धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादी व श्री चरणजीत सिह सिद्धू एड. प्रति स. 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 77 / 51 खाता महेन्द्र सिह ज.स. 2073–76 की कुल 5.541 है0 आराजी मे से 2.783 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.783 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है।वादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।दावा की दफा 5 निम्नप्रकार से हैः–

वादी इन्द्रजीत सिह पुत्र महेन्द्र सिह का हिस्साः–
चक 7 ए.एम.पी.

160 / 156	43	21 ता 24 / .253प्र 25 / 1 / .228 25 / 2 / .025 गै.मु.खाला = 1.265 है0
160 / 155	60	3–4 / .253प्र 5 / 1 / .228 5 / 2 / .025 गै.मु.खाला 6 / 1 / .228 6 / 2 / .025 गै.मु.खाला 7–8 / .253प्र = 1.518 है0

कुल योग 2.783 है0 आराजी

निज..........x.......... मुब्लिक..........x.......... बाबत...100/-.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....x...... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2024........ को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया